Toppersnotes
Unleash the topper in you

बिहार

फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर

BIHAR POLICE SUB-ORDINATE SERVICES COMMISSION

भाग – 1

हिंदी

SIERRA INNOVATIONS

विषय सूची

1.	संज्ञा	1
2.	सर्वनाम	2
3.	विशेषण	4
4.	क्रिया	7
5.	काल	9
6.	अव्यय	11
7.	कारक	14
8.	तत्सम - तद्भव	22
9.	विलोम - शब्द	24
10.	पर्यायवाची	30
11.	शब्द युग्म	42
12.	संधि	52
13.	उपसर्ग	59
14.	प्रत्यय	63
15.	समास	66
16.	वाक्य–शुद्धि	71
17.	मुहावरे	77
18.	लोकोक्ति	88
19.	रस	105
20.	छन्द	107
21.	अलंकार	115
22.	अनेक शब्दों के लिए एक शब्द	118
23.	अपठित गद्यांश	124
24.	रचना एंव रचनाकार	143

संज्ञा

परिभाषा :-

संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है- 'सम् + ज्ञा' अर्थात् सम्यक् ज्ञान कराने वाला अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वर्ग, भाव स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते है। संज्ञा का पर्याय है- नाम। किसी व्यक्ति (प्राणी), वस्तु स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते है।

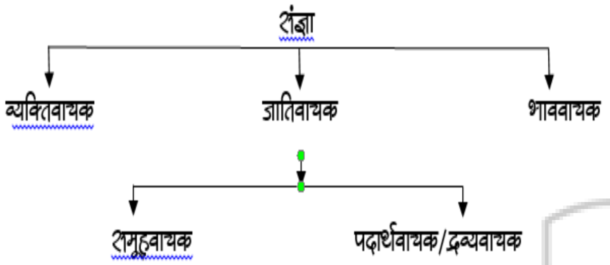

संज्ञा के भेदः-

व्यक्ति, गुण, वस्तु, भाव, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा के तीन भेद माने गऐ है -

1.व्यक्तिवाचक संज्ञाः-

जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते है ,उन्हे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते है। जैसे - गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीता, गंगा, जयपुर, रामायण आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता यह है कि (1) यह दुनिया मे एक ही होती है और (2) इसको हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान सकते है। गंगा/ताजमहल/रामायण को यदि हमने पहले से देखा है, समझा है तभी हम पहचान सकते है कि यह नदी तो गंगा है, यह भवन ताजमहल है, यह पुस्तक रामायण है, अचानक पहली बार देखने से नही।

2. जातिवाचक संज्ञा :-

जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति/वर्ग (Class) का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते है, जैसे- लडका, पर्वत, पुस्तक, घर, नगर, झरना, कुत्ता आदि।

जातिवाचक संज्ञा तो एक वर्ग है और दुनिया मे उसकी इकाईयाँ अनेक होती है। लडका जातिवाचक संज्ञा है और दुनिया मे लडका वर्ग के अनेक विद्यमान है। जातिवाचक संज्ञा का आधार है- वस्तु आदि का समान गुण, और पहले से उन वर्ग गुणों का ज्ञान होने पर वैसे ही गुण अन्य किसी मे पहचान कर नई वस्तु/प्राणी को भी हम तुरन्त पहचान लेते है।

प्रश्नः- नीचे लिखे शब्दों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के रूप मे छांटिऐ-
ब्रह्मपुत्र, पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, फूल, कमल, हिमालय, अनाज, गेहूँ, कल्याणसोना (गेहूँ),
गाय, जर्सी गाय, फल आम, लँगडा आम।

उत्तरः- ऊपर के शब्दों मे केवल ब्रह्मपुत्र और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञाऐं है शेष सभी जातिवाचक है दुनिया मे व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक होती है और जातिवाचक-अनेक।

1. द्रव्यवाचक :-

किसी पदार्थ या द्रव्य (द्रव यानी बहने वाली वस्तु-पानी, तेल, आदि, द्रव्य यानी पदार्थ जैसे- मिट्टी, चीनी, तेल आदि) का बोध कराने वाला शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते है, जैसे- लोहा, सोना, घी, मिट्टी, तेल, दूध, लकडी, ऊन आदि।
इन संज्ञाओं हम गिन नही सकते। दो लोहा, चार सोना आदि नही कर सकते, ये अगणनीय संज्ञाऐं है और ये मात्रात्मक या परिमाणात्मक है। इनमें से कुछ बहुवचन बनते है जैसे- मिट्टी,- मिट्टियाँ, लकडी-लकडियाँ आदि।

2. समूहवाचक :-

ये संज्ञाऐं अनेक गणनीय संज्ञाओं के समूह से बनती है, और वे एकवचन एवं बहुवचन दोनो रूपों मे (सेना/सेनाऐं,/कक्षा/कक्षाऐं) प्रयुक्त हो सकती है। ये शब्द किसी व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते है, जैसे- सेना, कक्षा, मंडली, जुलूस, परिवार, पुस्तकालय आदि।

3. भाववाचक संज्ञा :-

जिन शब्दों से व्यक्तियों/पदार्थो के धर्म (Nature), गुण, दोष अवस्था (State), व्यापार (Activity), भाव स्वभाव या अवधारणा (Concept), विचार आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञाऐं कहलाती है, जैसे कोमलता, बचपन, लम्बाई, बुढापा, शत्रुता, सलाह, मातृत्व, औचित्य, दासता, मित्रता आदि।

भाववाचक संज्ञाएँ पाँच प्रकार के शब्दों से बनती है :-

1. जातिवाचक संज्ञा से (विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगाकर)–
   लड़का–लड़कपन, मित्र–मित्रता, पशु–पशुता, आदमी–आदमीयत, चिकित्सक–चिकित्सा, चोर–चोरी, तरूण–तरूणाई, पुरूष–पुरूषत्व, मर्द–मर्दानगी आदि ।

2. सर्वनाम से (विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगाकर)–
   निज–निजत्व, अपना–अपनापन, सर्व–सर्वस्व, अहम्–अंहकार, मम्–ममता, ममत्व आदि ।

3. विशेषण से (विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगाकर)–
   बूढ़ा–बुढ़ापा, चतुर–चतुरता/चतुराई, मीठा–मिठास, मधुर–मधुरता/माधुर्य, खट्टा–खटास/खट्टापन, अरूण–अरूणिमा, कंजूस–कंजूसी, उचित–औचित्य, लघु–लघुता, आलसी–आलस्य, विद्वान–विद्वता गरीब–गरीबी, भूखा–भूख, परिष्कार, धीर–धैर्य/धीरज आदि ।

4. क्रिया से संज्ञा – (विभिन्न कृत प्रत्यक्ष लगाकर)–
   चढ़ना–चढ़ाई, चलना–चाल, दौड़ना–दौड़, सजाना–सजावट, उतारना–उतार, कमाना–कमाई, गाना–गान, जीना–जीवन, झुकना–झुकाव, खेलना–खेल, थकना–थकान, पहुंचना–पहुंच, जीतना–जीत, मिलाना–मिलावट, हँसना–हँसी, पीना–पान आदि ।

5. अव्यय से – निकट–निकटता, दूर– दूरी, नीचे–नीचता, ऊपर–ऊपरी, धिक्–धिक्कार आदि ।
   इस प्रकार ता, त्व, पन, ई, आई, आ, इयत, आहट, त, य आदि प्रत्यय लगाने से अन्य शब्द भाववाचक संज्ञाओं मे परिवर्तित हो जाते हैं । हिन्दी मे संज्ञाऐं लिंग, वचन तथा कारक द्वारा अपना रूप निर्धारण करती है । ये संज्ञा के विकारक तत्व कहलाते है ।

सर्वनाम

परिभाषा–
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते है –
जैसे– मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि ।

सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है– 'सबका नाम' अर्थात् जो शब्द सबके नामों के स्थान पर लड़का/लड़की/कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते है, वे सर्वनाम कहलाते है ।
यह पुनरूक्ति दोषको मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ।

सर्वनाम के भेद

सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद है -

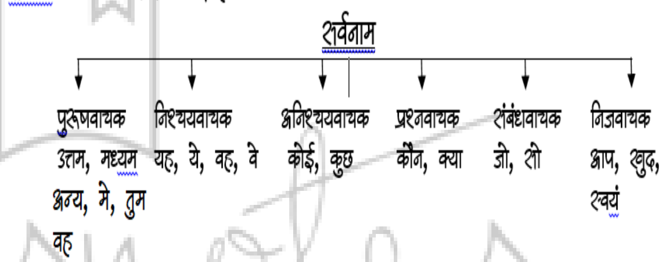

1. **पुरूषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun)-**
   वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए जाने वाले कथन (पुरूष) हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें पुरूषवाचक सर्वनाम कहते है । इसी आधार पर पुरूषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार माने गऐ है –

➢ उत्तम पुरूषवाचक सर्वनाम (First Person)– जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला (वक्ता) या लिखनेवाला (लेखक) अपने लिए करता है, उन्हे उत्तम पुरूषवाचक सर्वनाम कहते है । मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि उत्तम पुरूषवाचक सर्वनाम है, जैसे –
   - मैं अपने स्कूल गया ।
   - हम प्रदर्शनी देखने जाएँगे ।
   - इस विषय मे हमारा बोलना ठीक नही ।

➢ मध्यम पुरूषवाचक सर्वनाम (Second Person)– वक्ता या लेखक सुनने वाले

(श्रोता) या पढ़नेवाले (पाठक) के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हे मध्यम पुरूषवाचक सर्वनाम कहते है । तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपकों, अपने आदि मध्यम पुरूषवाचक सर्वनाम है । वाक्यों मे इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के देखा जा सकता है ।

1. तू बहुत अच्छा लिखती है । 2. तुम्हें गुरू जी ने बुलाया है ।
3. आप सबके लिए पूज्यनीय है । 4. पहले अपने देखो ।

अन्य पुरूषवाचक सर्वनाम (Third Person)–
जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोडकर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है, उन्हें अन्य पुरूषवाचक सर्वनाम कहते है । यह, वह, ये, वे उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हे, उनका, उनकी, उनको, उसको आदि अन्य पुरूषवाचक सर्वनाम है जैसेः-

- वह रोते-रोते सो गई ।
- उसको बुलाकर समझाओं ।
- उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है ।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम (Demonstrative Pronoun)-

जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते है जैसे–

- यह कौन है ? यह तो श्याम है । (यहाँ 'यह' की ओर संकेत है, 'यह' पर जोर है ।)
- ये रहे वे जिन्हें मैं ढूँढ रहा था ।
- गीता का घर वह है ।
- वे जो बैठी है, अध्यापिकाऐं है ।

इन वाक्यों मे यह, वह, ये, वे, निश्चयवाचक सर्वनाम है तथा यह, ये समीपवर्ती तथा वह वे सर्वनाम दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हुऐ है ।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinate Pronoun)-

किसी अनिश्चत व्यक्ति, वस्तु, घटना, या व्यापार के लिए प्रयोग मे आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलातें है, जैसे- कोई किसी, कुछ । सजीव प्राणियों के लिए 'कोई', 'किसी' और निर्जीव पदार्थो के लिए 'कुछ' सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जैसे–

- शायद बाहर कोई आया है (व्यक्ति)
- किसी (व्यक्ति) से कुछ (वस्तु) मत लो ।
- हमें कुछ तो खाना पडेगा । (वस्तु)

4. प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative Pronoun)-

किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय मे प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते है । कौन, किसे, किसने, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है । इनमें भी कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और 'क्या, किसे, किससे' वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है उदाहरणार्थ–

- कवियों को किसने आमंत्रित किया था ? (व्यक्ति)
- बाजार जाने के लिए किसे कहूँ ? (व्यक्ति)
- बाहर कौन आया है ? (व्यक्ति)
- आप चाय के साथ क्या लेंगे ? (वस्तु)
- तुम किससे लिखोगे ? (वस्तु)

5. संबंधवाचक सर्वनाम (Relative Pronoun)-

जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द/वाक्यांश का दूसरे शब्द / वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए (जो-सो) किया जाता है या जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोडने का कार्य करते है, उन्हे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है । जो-सो, जिसे, वह, जो-वह, जैसा-वैसा, जिसकों-उसको, जिससे-उससे आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसे-

- जैसी करनी वैसी भरनी ।
- जिसे देखो, वही अत्यधिक व्यस्त है ।
- जितनी लंबी चादर, उतने ही पैर पसारिऐं ।

6. निजवाचक सर्वनाम (Reflexive Pronoun)-

ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते है । कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम के वस्तुतः पुरूषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद मानते है, और कुछ अलग । आप, अपने-आप, स्वयं, खुद स्वतः निज आदि निजवाचक सर्वनाम है यथा–

- मै अपने-आप कार्यालय ढूँढ लूँगा ।
- उसने खुद/स्वयं/स्वतः ही परेशानी मोल ले ली है ।
- आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए ।

इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों मे प्रयुक्त अपने-आप, स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनो पुरूषों मे (उत्तम, अन्य, मध्यम) मे हो रहा है ।

विशेषण

परिभाषा:-

विशेषण वह शब्द-भेद है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है । जैसे-

1. काली गाय अधिक दूध देती है ।
- योग्य व्यक्ति सदैव आदर के पात्र होते है ।
- कुछ लोग यहाँ आ रहे है ।
- दो बच्चे खेल रहे है ।

उपर्युक्त वाक्यो में 'काली' 'अधिक', 'योग्य' विशेषण क्रमशः गाय, दूध, व्यक्ति संज्ञाओं की विशेषता बताते है । इसी प्रकार 'कुछ' एवं 'दो' भी 'लोग' व 'बच्चों' (संज्ञाओं) के विशेषण है ।

विशेषण और विशेष्य- जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते है, वे 'विशेषण' और जिन संज्ञाओं या सर्वनामों की विशेषता प्रकट की जाती है, वे शब्द 'विशेष्य' कहलाते है ।

विशेषण के भेद :- संज्ञा की विशेषता के प्रकार के आधार पर विशेषण के चार भेद माने गए है-

विशेषण के भेद
- गुणवाचक
- संख्यावाचक
- परिमाणवाचक
- सार्वनामिक/संकेतवाचक

1. **गुणवाचक विशेषण :-** जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम (विशेष्य) के गुण-आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते है, उन्हे गुणवाचक विशेषण कहते है जैसे-

गुण/दोष:- अच्छा, बुरा, सरल, कुटिल, ईमानदार, सच्चा, बेईमान, झूठा, दानवीर, शिष्ट दयालु,कृपालु, कंजूस, शांत, चतुर, गुस्सैल आदि ।

आकार:- लंबा, छोटा, चौडा, चौकोर, तिकोना, गोल बडा, ठिगना, नाटा, ऊँचा, नीचा, अंडाकार,त्रिभुजाकार आदि ।

रंग:- काला, पीला, लाल, सफेद, नीला, गुलाबी, हरा, सुनहरा, चमकीला, आसमानी आदि ।

स्वाद:- खट्टा, मीठा, कडवा, नमकीन, कसैला, तीखा आदि ।

स्पर्श:- कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, चिकना, गरम आदि ।

गंध:- सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार, खुशनुमा, सौंधा, गंधहीन ।

Toppersnotes Unleash the topper in you

दिशाः- उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पाश्चात्य, भीतरी, बाहरी आदि ।

दशाः- नया, पुराना, जीर्ण-शीर्ण, पिलपिला, ढीला, स्वस्थ, रोगी, सूखा, गाढा, पतला, पिछला, जमा आदि ।

कालः- प्राचीन, नवीन, आधुनिक, भावी, ऐतिहासिक, साप्ताहिक, मासिक, सुबह का भूला, नया, पुराना, ताजा आदि ।

स्थानः- ग्रामीण, भारतीय, रूसी, जापानी, बनारसी, देशी, विदेशी, बाहरी, तुर्की, वन्य, पहाडी, मैदानी, आदि ।

अवस्थाः- युवा, बूढा, तरूण, प्रौढ, अधेड, मुग्धा,धीर, गंभीर, अधीर, सहनशील आदि ।

वाक्यो मे कुछ उदाहरण है-

- अधिक गर्म दूध नही पीना चाहिए ।
- आम मीठा है ।
- संगमरमर चिकना पत्थर है ।
- आँखो की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है ।

उपर्युक्त वाक्यों मे गर्म, मीठा, चिकना, हरा गुणवाचक विशेषण है जो क्रमशः दूध की अवस्था, आम के स्वाद, पत्थर का स्पर्शबोध और रंग के गुण को व्यक्त रहे है ।

2. **संख्यावाचक विशेषण :-** गणनीय संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करानेवाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते है । जैसे-
   - कक्षा मे पचास लडके अध्ययन करते है ।
   - माता जी ने एक दर्जन केले खरीदे है ।
   - झगडे मे कई लोग मारे गए है ।

उपर्युक्त उदाहरणों मे पचास, एक दर्जन, कई संख्यावाचक विशेषण है जो कि क्रमशः लडके, केले, लोग संज्ञाओं की संख्यागत विशेषता का बोध कराते है । जातिवाचक या भाववाचक होता है ।

संख्यावाचक विशेषण के भेद :- संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित संख्या के आधार पर दो भेद किए गए है ।

- निश्चित संख्यावाचक
- अनिश्चित संख्यावाचक

(क) निश्चित संख्यावाचक :- जहाँ विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है ।

- कक्षा मे दस विद्यार्थी आए है ।
- दो दर्जन केले बीस रूपये के है ।
- आधा दरवाजा खुला हुआ है ।

इन वाक्यों मे आए हुये दस, दो दर्जन, आधा शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते है ।

संख्यावाचक विशेषणों मे अपूर्णांक विशेषण- आधा, पौन, डेढ, एक चौथाई आदि तथा क्रमवाची विशेषण जैसे- पहला, दसवाँ आदि, गुणा/ आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे- दुगुना, चौगुना, समूहवाचक विशेषण, जैसे दोनो, चारो तथा प्रत्येकवाचक जैसे प्रति व्यक्ति, हर आदमी आदि होते है ।

(ख) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण :- जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराकर उनकी संख्या का अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते है, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते है, जैसे- कुछ, कई, थोडे, कम, बहुत, काफी, अगणित, दसियों, हजारो, अधिक, कोई-सौ, सौ-एक, करीब सौ, कोई दो सौ इत्यादि । वाक्यों मे कतिपय उदाहरण निम्नलिखित है-

- कुछ लडके मैदान मे खेल रहे है ।
- मेरे पास बहुत से रूपये है ।
- बस थोडे पन्ने लिखने बाकी है ।
- ट्रेन-दुर्घटना मे सैकडों व्यक्ति मारे गए ।
- सडक पर कोई-सौ लडके खडे थे ।

इन वाक्यों मे कुछ, बहुत-से, थोडे, सैकडों, कोई-सौ अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते है ।

3. **परिमाणवाचक :-** मात्रात्मक, द्रव्यवाचक संज्ञा या सर्वनाम की माप-तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते है, जैसे-
   - पहलवान प्रतिदिन पाँच लीटर दूध पी जाता है ।
   - भिखारी को थोडा आटा दे दो ।

यहां 'पाँच लीटर दूध' 'थोडा आटा' व आटे का माप है जो गण्य नही है, केवल मापा जा सकता है, अतः वे परिमाणवाचक विशेषण है ।

परिमाणवाचक विशेषण माप-तौल की निश्चितता व अनिश्यितता के आधार पर दो प्रकार के माने गए है-

(क) निश्चित परिमाणवाचक- जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते है, उन्हे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते है, यथा-

- चार लीटर दूध लेकर आओ ।

- बाजार से दस किलो चीनी ले आना ।
- यह चैन पंद्रह ग्राम सोने की है ।
- उसके पास बीस एकड जमीन है ।
- हमे दस ट्रक भूसा चाहिए ।

उपर्युक्त वाक्यों मे चार लीटर, दस किलो, पंद्रह ग्राम, बीस एकड, दस ट्रक क्रमशः दुध, चीनी, सोना, जमीन और भूसे के निश्चित माप हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ।

(ख) अनिश्चित परिमाणवाचक- जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध न होकर अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, उन्हे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते है जैसे-

- वह ढेर सारा मक्खन खा गया । (अनिश्चित मक्खन)
- मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो ।
- थोडा पानी देना ।
- जरा-सा आचार दे दो ।
- यहाँ ढेरों आम पडे है ।

उपर्युक्त उदाहरणों मे 'ढेर सारा', कुछ, थोडा, जरा-सा, ढेरों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जो क्रमशः मक्खन, नाश्ता, पानी, आचार, आम की अनिश्चित माप का बोध कराते है ।अधिक मात्रा का बोध कराने के लिए परिमाणवाचक विशेषण के साथ 'ओं' जोड दिया जाता है ।

4. सार्वनामिक विशेषण :- जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते है ।

सार्वनामिक विशेषण के चार भेद :-

(क) निश्चयवाचक/संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण :- जिनसे संज्ञा या सर्वनाम निश्चययात्मकता का
संकेत होता है, यथा

- उस व्यक्ति को बुलाइए । (व्यक्ति विशेष की ओर संकेत है)
- क्या यह पुस्तक तुम्हारी है ? (पुस्तक की ओर संकेत है)

(ख) अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण :- इनसे संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चयात्मकता का बोध
होता है, जैसेः-

- वहाँ कुछ भी वस्तु खाने के लिए नही मिलेगी
- छत पर कोई व्यक्ति खडा है ।

(ग) प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण :- इन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध
होता है जैसे :-

- वहाँ मैदान मे कौन छात्र दौड रहा है ?
- तुम्हारे लिए बाजार से क्या चीज लाऊँ ?
- तुम्हे किस लडके ने मारा है ?

उपर्युक्त उदाहरणों मे प्रयुक्त 'कौन' 'क्या' 'किस' आदि संज्ञा के पहले लगे है तथा विशेष्य से संबंधित प्रश्नों का बोध करा रहे है ।

(घ) संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण :- जिन विशेषणों से एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य मे
प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोडा जाता है जैसेः-

- जो घडी मैंने कल खरीदी थी, वह खो गई है ।
- जिस कार्य को करने से नुकसान होता है, उस पर विचार करना मूर्खता है ।
- वह व्यक्ति सामने जा रहा है, जिससे तुम्हारा झगडा हुआ था ।

इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट है कि जो-वह, जिस-उस, वह-जिससे सार्वनामिक विशेषणों का संबंध वाक्यों मे प्रयुक्त अन्य विशेष्यों- क्रमशः घडी, कार्य और व्यक्ति से स्थापित किया गया है ।

क्रिया

वाक्य मे जिस शब्द-समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते है, जैसेः-

- मोहन खाना खा रहा है ।
- हवा बह रही है । (करना-हवा बहने की क्रिया कर रही है ।)
- पुस्तक अलमारी मे है । (होना)

उपर्युक्त वाक्यों मे 'खा रहा है' 'बह रही है', 'है' क्रियापद है ।

वाक्य मे कर्म की संभावना के आधार पर भेद :-

अकर्मक और सकर्मक क्रियाः- किसी क्रिया के करने हेतु कर्म की आवश्यकता/संभावना होने या न होने के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद है - सकर्मक और अकर्मक ।

(क) अकर्मक क्रिया :- जिस वाक्य मे क्रिया का फल कर्म पर न पडकर केवल कर्ता पर ही पडता है अर्थात जिस क्रिया के करने मे कर्म की आवश्यकता ही नही होती है, बिना किसी कर्म के क्रिया सम्पन्न हो सकती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते है, जैसेः-

- नरेश दौड रहा है ।
- चिडिया उड रही है ।
- बच्चा रोता है ।

उपर्युक्त वाक्यों मे 'दौड रहा है', 'उड रही है', 'रोता है' क्रियाओं के फल का प्रभाव क्रमशः नरेश, चिडिया और बच्चा कर्ता-पदों पर ही पडता है और ये क्रियाऐं बिना किसी कर्म के क्रिया केवल कर्ता के द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है ।

(ख) सकर्मक क्रिया :- जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया मे कर्म की आवश्यकता होती ही है, उसे सकर्मक क्रिया कहते है । सकर्मक क्रिया कर्म के बिना सम्पन्न हो ही नही सकती, जैसे :-

1. राम पत्र लिखता है ।
2. 2. लडके ने बेर खाए ।
3. मोहित पानी पीता है ।
4. अध्यापक प्रश्न पूछते है ।

उपर्युक्त वाक्यों मे 'लिखना', 'खाना', 'पीना', 'पूछना' क्रियाओं का प्रभाव क्रमशः पत्र, बेर, पानी व प्रश्न पूछा जाता है और उसका कोई-न-कोई उत्तर अवश्य आता है और वह उत्तर ही कर्म होता है, और वह क्रिया सकर्मक होती है, राम क्या लिखता है ? (पत्र), लडके ने क्या खाए ? (बेर), मोहित ने क्या पिया ? (पानी) ।

क्रिया की पूर्णता के आधार पर भेद :-

अपूर्ण क्रिया - कुछ क्रियाओं का अपने-आपमें अर्थ पूर्ण ही नही होता, इसलिए अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी अन्य 'पूरक' शब्द पर निर्भर होना होता है जो क्रिया न होकर संज्ञा या विशेषण पद होता है, ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते है, अर्थात क्रिया अपना अर्थ स्वयं न देकर संज्ञा, विशेषण पद से ही दे पाती है, जैसे-

- अजीत श्याम को मूर्ख समझता है । ('मूर्ख'-विशेषण के बिना क्रिया 'समझता है' का अर्थ स्पष्ट नही होगा ।)
- अशोक जी हमारे गुरू थे । (गुरू-संज्ञापद के बिना 'थे' का अर्थ स्पष्ट नही होता ।)

स्पष्ट है कि इन वाक्यों मे प्रयुक्त पूरक (मूर्ख, गुरू-दोनो संज्ञापद) का लोप कर देने से वाक्य मे पूर्णता नही आती । ऐसे पूरक कर्मपूरक कहे जाते है, जो विशेषण और संज्ञा दोनो ही हो सकते है ।

पूर्ण क्रिया - जिस क्रिया-पद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाए, पूरक के रूप मे गैर-क्रियापद (संज्ञा-विशेषण) की आवश्यकता नही हो, उसे पूर्ण क्रिया कहते है, जैसे :-

1. लडका सोता है । 2. लडका पढता है ।

यहाँ 'सोता है', 'पढता है' क्रियापद से पूर्ण अर्थ निकल जाता है । ये दोनो पद क्रियापद ही है । अतः ये पूर्ण क्रियाएँ है ।

क्रिया की संरचना के आधार पर भेद :-

प्रेरणार्थक क्रिया - जहाँ कर्ता खुद क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है । यहाँ कर्ता भी क्रिया तो करता है किन्तु वह प्रेरणा देने की क्रिया करता है । प्रेरणार्थक क्रियाओं मे 'वा' लगता है ।

- नरेश ने नाई से बाल कटवाए ।
- सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया ।
- मोहन ने माली से दूब कटवाई ।

सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती है ।

मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया- मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने मे सहायता करने वाला क्रियापद सहायक क्रिया कहलाता है, जैसे -

- मै गया हुआ था । (यहाँ गया मुख्य क्रिया है तथा हुआ था सहायक क्रिया है ।)

- सुरेश सुन रहा था । (सुन- मुख्य क्रिया है तथा रहा था- सहायक क्रियाएँ)

<u>नामधातु क्रियाः-</u> जब संज्ञा एवं विशेषण अर्थात् नामपद शब्दों के अतं मे प्रत्यय जोडने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है, तब वह नामधातु क्रिया होती है जैसे :-

- सेठ ने मकान हथियाया । (हाथ-संज्ञापद)
- मुझ पर दृश्य फिल्माया । (फिल्म-संज्ञापद)
- लडकी बतियाई । (बात संज्ञापद)

<u>पुर्वकालिक क्रियाः-</u> जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य आरम्भ करता है, तब पहली क्रिया पुर्वकालिक क्रिया कहलाती है । पुर्वकालिक क्रिया के अतं मे कर लगता है- <u>सोकर, उठकर, जाकर</u> आदि ।

- बच्चे दूध पीकर सो गए । (सोने से पहले दूध पीया ।)
- रमेश खाना खाकर विद्यालय गया ।
- रमेश खाना खाने के बाद विद्यालय गया ।

लेकिन 'रमेश ने खाना खाया और उसके बाद विद्यालय गया' वाक्य मे पहली क्रिया पुर्वकालिक नही है, बल्कि दोनो ही क्रियाएँ स्वतंत्र क्रियाएँ है क्योकि दोनो क्रियाएँ दो अलग-अलग उपवाक्यों की क्रियाएँ है ।

<u>तात्कालिक क्रियाः-</u> यह क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले सम्पन्न हो जाती है । इसमें और मुख्य क्रिया मे समय का अंतर नही होता, किन्तु पहली क्रिया के घटने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया के घटने का बोध होता है जो 'ही' निपात से संभव होता है ।

- वह खाना खाते ही (तात्कालिक क्रिया) सो गया ।
- वह नहाते ही (तात्कालिक क्रिया) मंदिर चला गया ।

<u>संयुक्त क्रियाः-</u> जब दो या दो से अधिक क्रिया-धातुओं के योग क्रियापद बनता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते है । संयुक्त क्रिया मे कई क्रियाओं के संयुक्त हो जाने से एक क्रिया का अर्थ निकलता है, जैसे :-

- वह खाना खा चुका होगा ।
- दीक्षा लिखा करती होगी ।
- पानी बरसने लगा है ।
- मै यहाँ रोज आ जाया करता हूँ ।
- दोपहर मे लोग सो रहे होते है ।

इन सभी वाक्यों मे पहला क्रियापद मुख्य क्रिया है तथा बाद के सभी क्रियापद सहायक क्रियाएँ है और मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रियाओं को मिलकर बने क्रियापद-समूह संयुक्त क्रियाएँ है । सहायक क्रिया एक भी हो सकती है । (पढता है) और एक से अधिक भी जैसा कि ऊपर के वाक्यों मे है ।

काल (Tense)

प्रायः लोग काल और समय को एक ही मान लेते है परन्तु ये एक नही है । समय एक भौतिक इकाई (भौतिक सत्य) है तथा काल एक व्याकणिक (भाषिक) अवधारणा है । किसी क्रिया के घटित होने के समय के प्रति वक्ता का जो मानसिक बोध वाक्य मे व्यक्त होता है, वही वैयाकरणिक काल है ।

चूंकि 'समय' को भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीन वर्गो मे बांटा जाता है, उसी के आधार पर काल को भी परंपरागत व्याकरण मे वर्तमानकाल, भूतकाल तथा भविष्यकाल तीन वर्गो मे बांट लिया जाता है ।

1. वर्तमान काल (Present Tense) :- कथन के क्षण के साथ-साथ क्रिया का होना अर्थात् वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, जैसे-
   - वह किताबें बेचता है ।
   - आप क्या करते है ?
   - मै खाना खा रही हूँ

2. भूतकाल (Past Tense) :- कथन के क्षण के पूर्व क्रिया व्यापार का होना अर्थात् बीते हुए समय मे होना भूतकाल है, जैसेः-
   - मैंने चाय पी ली है ।
   - मै आगरा गया था ।
   - बच्चा चला गया ।
   - वे पत्र लिख रहे थे ।

3. भविष्य काल (Future Tense) :- कथन के क्षण के बाद क्रिया का होना अर्थात् भविष्य मे होना भविष्य काल जैसे :-
   - वह कल दिल्ली जा रहा है । (क्रिया वर्तमान काल- जैसी किन्तु है भविष्य काल)
   - मै काम नही करूँगा ।
   - कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे ।

वर्तमान काल के भेद

वर्तमान काल के तीन भेद माने गए है-

1. सामान्य वर्तमान (Present Indefinite) - जिस क्रिया से वर्तमान काल मे क्रिया का होना या करना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते है, जैसे -
   - लडका जाता है ।
   - लडके जाते है ।
   - लडका रोज जल्दी उठता है ।

सामान्य वर्तमान मे आदत होने का संकेत तथा हमेशा होने वाली / घटनाएँ अवधारणाएँ भी सम्मलित रहती है, जैसे :-
   - यह लडका हमारे घर आता रहता है ।
   - दो और दो हमेशा चार होते है ।
   - ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है ।

2. अपूर्ण वर्तमान (Imperfect) :- क्रिया के जिस रूप ये यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल मे शुरू हो गया है लेकिन अभी तक पूरा नही हुआ है तथा अभी भी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते है । इसे सातत्य वर्तमान (Present Continuous) भी कहा जा सकता है, जैसे :-
   - लडका खेल रहा है ।
   - शिक्षक पढा रहे है ।

3. संदिग्ध वर्तमान - क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल मे होने या करने मे अनिश्चय का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान के नाम से जाना जाता है, जैसे :-
   - लडके बाजार से आते होंगे ।
   - पिता जी दफ्तर पहुंचते होंगे ।

संदिग्ध वर्तमान मे मुख्य क्रिया वर्तमान काल ही रहती है - आता/पहुंचता/पढता/चलता तथा सहायक क्रिया के रूप मे होगा/होंगे/होगी रहती है ।

भूतकाल के भेद

भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद है -

1. सामान्य भूत (Simple Past या Past Indefinite)- जिस काल से भूतकाल मे क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का संकेत मिलता है, उसे सामान्य भूत कहते है जैसे :-
   - लडका आया ।
   - लडकी ने खाना खाया ।

2. आसन्न भूत - क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी-अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते है । 'आसन्न' का अर्थ है- निकट

। आसन्न भूत के यह बोध होता है कि कार्य अभी–अभी, निकट भूत मे ही पूर्ण हुआ है, जैसे –

- वह अभी–अभी आया है ।
- उसने हाल मे चाय पी है ।

3. पूर्ण भूत (Past Imperfect)– भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल मे बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूत कहलाता है, जैसे –
   - लडका खाना खा चुका था ।
   - लडकी कल दिल्ली गई थी ।
   - मेरे उठने से पहले सूरज उग चुका था ।

4. अपूर्ण भूत (Past Imperfect या Incomplete Past)– भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल से प्रारम्भ हो चुका था, चल रहा था, किन्तु काम पूरा नही हुआ था, जारी था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं, जैसे –
   - लडका पढ रहा था ।
   - माँ खाना बना रही थी ।

5. संदिग्ध भूत – भूतकाल की जिस क्रिया के करने अथवा होने पर अनिश्चियतता (अर्थात निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता कि कार्य हुआ था क्या ।)
   प्रतीत हो, वह संदिग्ध भूत कहलाता है, जैसे –
   - लडकी ने कविता पढी होगी ।
   - लडके ने गीत गाया होगा ।

संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल दोनो मे होगा/होगी/होंगे/होंगी सहायक क्रियाएँ तो समान रहती हैं किन्तु संदिग्ध वर्तमान मे मुख्य क्रिया वर्तमानकाल की (पढता/चलता) होती है तथा संदिग्ध भूतकाल मे भूतकाल की (पढा/चला) रहती है ।

6. हेतु–हेतुमद् भूत (Conditional Past)– जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल मे हो सकता था, परन्तु किसी अन्य कार्य के हो सकते या न हो सकने के कारण (हेतु) से हो सका या न हो सका, वहाँ हेतु–हेतुमद् भूत होता है, जैसे–
   - कपिल पढता तो उत्तीर्ण हो जाता ।
   - कपिल पढा इसलिए उत्तीर्ण हो गया ।
   - यदि वर्षा होती तो फसल हो जाती ।

भविष्य काल के भेद

भविष्य काल के तीन भेद माने गए है –

1. सामान्य भविष्य (Future Indefinite या Simple Future) भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि क्रिया भविष्य मे एक या अनेक बार होगी, उसे सामान्य भविष्य कहते है, जैसे –
   - माली पौधों मे पानी देगा ।
   - हम सब खेलने जाएँगे ।
   - हम आज शाम आपके यहाँ आ रहे है । (क्रिया वर्तमान जैसी किन्तु भविष्य काल)

2. संभाव्य भविष्य (Doubtful Future) - क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल मे कार्य के होने की संभावना पाई जाए, वह संभाव्य भविष्य कहलाता है, जैसे –
   - वह शायद कल सवेरे आ जाए ।
   - हो सकता है, मेहमान कल ही आ जाएँ ।

संभाव्य भविष्य की क्रियाओं से कार्य के होने का निश्चित पता नही चलता, केवल उसकी संभावना का बोध होता है, जिसे 'संभव है' 'हो सकता है' आदि पदों से व्यक्त किया जाता है ।

3. सातत्यबोधक भविष्य (Future Continuous) जिस क्रिया– रूप से भविष्य मे कार्य के जारी रहने का/निरंतरता का बोध हो, उसे सातत्यबोधक भविष्य कहते है, जैसे –
   - कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे ।
   - हमारे पहुंचने के समय पुनीत पढ रहा होगा ।

अव्यय

अव्यय प्रायः लिंग, वचन, परसर्ग आदि से अप्रभावित रहते हैं । ऐसे शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं । नीचे लिखे उदाहरणों को देखें-

1. आज लडकों ने सूर्यग्रहण का रहस्य जान लिया ।
2. आज लडकियों ने अपनी कक्षाओं में कमाल कर दिया ।
3. आज कुछ कृषि वैज्ञानिक आए ।

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद 'आज' अव्यय है ।

अव्यय शब्दों में विकार (परिवर्तन) न होने के कारण ही ये 'अविकारी' के नाम से भी जाने जाते हैं । ये चार प्रकार के होते हैं-

1. क्रियाविशेषण

" वह शब्द, जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति (शैली) और परिमाण (मात्रा) बताए, 'क्रियाविशेषण' (Adverb) कहलाता है ।" जैसे

वह परसों जाएगा । (समयसूचक)

वह घोडा बहुत तेज दौडता है । (रीति)

अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषण के चार प्रकार होते हैं-

1. कालवाचक : इससे क्रिया के समय का बोध होता है । आज, कल, जब, तब, अब, कब, लगातार, दिनभर, प्रतिदिन, परसों, सबेरे, तुरंत, अभी, पहले, पीछे, सदा, बार-बार, बहुधा, प्रायः आदि कालवाचक क्रियाविशेषण के अंतर्गत आते हैं । इन्हीं कालवाचक शब्दों में कुछ का दो बार एक साथ प्रयोग होता है । जैसे-
   वह बार-बार चीखता है ।
   मैं अभी-अभी आया हूँ ।
2. स्थानवाचक : यह क्रिया के स्थान का बोधक होता है । इसके अंतर्गत यहां, वहां, आगे, पीछे, बराबर, भीतर, ऊपर, नीचे, इधर-उधर, अगल-बगल, चारों ओर, जहां, तहां आदि आते हैं । जैसे-
   वह आगे गया है ।
   वे ऊपर बैठे हैं ।
   स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं :
   (a) स्थितिसूचक : यहां, वहां, जहां, तहां, कहां, आगे, आमने-सामने, ऊपर, पास, निकट, सामने, दूर, प्रत्यक्ष आदि ।
   (b) दिशासूचक : इधर-उधर, किधर, दाएं-बाएं आदि ।
3. परिमाणवाचक : इससे परिमाण (मात्रा) का बोध होता है यानि यह क्रिया की मात्रा का बोध कराता है । इसके अंतर्गत बहुत, बडा, बिल्कुल, अत्यन्त, अतिशय, कुछ, लगभग, प्रायः किंचित, केवल, यथेष्ट, काफी, थोडा, एक-एक कर आदि आते हैं ।
4. रीतिवाचक : यह क्रिया की रीति (क्रिया कैसे हो रही है) का बोधक होता है । रीतिवाचक क्रियाविशेषण प्रकार, स्वीकार, विधि, निषेध, निश्चय, अनिश्यि, अवधारणा, प्रयोजन और कारण का बोध कराता है ।
   निश्चयार्थक : बेशक, सचमुच, वस्तुतः, हाँ, अवश्य . ..
   अनिश्ययार्थक : प्रायः, कदाचित्, संभवतः.....
   स्वीकारार्थक : हाँ, ठीक, सच, ...
   कारणार्थक : अतः, इसलिए, क्योंकि .....
   निषेधार्थक : न, नहीं मत......
   आवृत्तिपरक : सरासर, फटाफट, ...
   अवधारक : ही, भी, भर, मात्र, तो ....
   इनके अतिरिक्त धीरे-धीरे, अचानक, यथाशक्ति, यथासंभव, आजीवन, निःसंदेश, सा, तक आदि भी क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं ।

अव्ययीभाव के समस्तपदों का प्रयोग भी क्रिया विशेषण के रूप में होता है । जैसे-

उसने आकण्ठ खाया था ।

वह आजीवन काम करता रहा ।

भाववाचक संज्ञाओं में या विशेषणों में 'पूर्वक' जोडकर भी क्रियाविशेषण बनाया जाता है । जैसे-

वह कुशलतापूर्वक रहता है ।

उसने श्रद्धापूर्वक सत्कार किया ।

प्रयोग के अनुसार क्रियाविशेषण के तीन प्रकार हैं-

1. साधारण क्रियाविशेषण : यह क्रियाविशेषण किसी उपवाक्य से संबंध नहीं रखता है । जैसे-
हाय, वह अब करे तो क्या करे ।
रणधीर, जल्दी आ जाना ।
2. संयोजक क्रियाविशेषण : इसका उपवाक्य से संबंध रहता है । जैसे-
जब परिश्रम ही नहीं तो विद्या कहाँ से ?
3. अनुबद्ध क्रियाविशेषण : इस क्रियाविशेषण का प्रयोग निश्चय (अवधारणा) के लिए होता है । जैसे-
मैंने खाया तक नहीं था ।

रूप के अनुसार क्रियाविशेषण के तीन प्रकार हैं :

1. मूल क्रियाविशेषण : जो मूल रूप में होते हैं यानी किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते । जैसे-
मैं ठीक हूँ ।
वह अचानक आ धमका ।
मुझे बहुत दूर जाना है ।
2. यौगिक क्रिया विशेषण : जो किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय जुडने से बनते हैं । जैसे-
दिन + भर = दिनभर
चुपके + से = चुपके से
वहां + तक = वहां तक
देखते + हुए = देखते हुए

3. स्थानीय क्रियाविशेषण : जो बिना रूपान्तर के किसी विशेष स्थान में आते है । जैसे-
लता मंगेशकर अच्छा गाती है । वह बैठकर खा रहा था ।

2. संबंधबोधक
"वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदो के साथ संबंध सूचित करे ।"
संबंधबोधक (Preposition) शब्द प्रायः संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाए जाते हैं; किन्तु यदा-कदा संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी आते है ।
प्रयोग के अनुसार ये दो प्रकार के होते है :
1. संबद्ध संबंधबोधक : ये संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं । जैसे-
भूख के मारे
पूजा से पहले
धन के बिना
2. अनुबद्ध संबंधबोधक : ये संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते है । जैसे-
पुत्रों समेत
सहेलियों सहित
किनारे तक
व्युत्पति के अनुसार भी संबंधबोधक दो प्रकार के होते हैं -
1.मूल संबंधबोधक : बिना, पर्यंत, नाईं, समेत, पूर्वकक्
2.यौगिक संबंधबोधक : वे विभिन्न प्रकार के शब्दों से बनते हैं । जैसे-
और, अपेक्षा, नाम, वास्ते, विशेष, पलटे-संज्ञा से
ऐसा, जैसा, जवानी, सरीखे, तुल्य-विशेषण से
लिए, मारे, करके,-क्रिया से
ऊपर, बाहर, भीतर, यहां, पास-क्रियाविशेषण से
नोट : ध्यान दें, यदि किसी विभक्ति के बाद क्रियाविशेषण रहे तो वह संबंधबोधक बन जाता है । जैसे-
सेनाएँ आगे बढी । (क्रियाविशेषण)
सेनाएँ युद्धक्षेत्र से आगे बढी । (संबंधबोधक)
मोनू ऊपर बैठा है । (क्रियाविशेषण)
मोनू दीवार के ऊपर बैठा है । (संबंधबोधक)

3. समुच्चयबोधक
"शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर जोडने या अलग करनेवाले अव्ययों को 'समुच्चयबोधक (Conjunction) अव्यय कहते है ।" जैसे-
वह आया और मैं गया ।
यहां 'और' दो वाक्यों को जोड रहा है ।
वह या मैं गया ।
यहां 'या' वह और मैं को अलग करता है ।
समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद हैं-
1.समानाधिकरण समुच्चयबोधक : ये भी चार प्रकार के होते हैं-
(a) संयोजक : ये दो पदों या वाक्यों को जोडते है । जैसे-
शालू, आरती, कोमल और मेघा बहुत अच्छी है ।
सूरज उगा और अँधेरा भागा ।
इसके अंतर्गत और, तथा, एवं, व आदि आते है ।
(b) विभाजक/विभक्तक : ये दो या अधिक पदों या वाक्यों को जोडकर भी अर्थ को बांट देते यानि अलग कर देते हैं । जैसे-
रणवीर या रणधीर स्कूल जाएगा ।
वह जाएगा या मैं जाऊंगा ।
इसके अंतर्गतत अथवा, या, वा, किंवा, कि चाहे, नहीं तो आदि आते हैं ।
(c) विरोधदर्शक : ये वाक्य के द्वारा पहले का निषेध या अपवाद सूचित करते है । जैसे-
वह बोला तो था; परन्तु इतना साफ-साफ नहीं ।
इसके अंतर्गत किन्तु, परन्तु, लेकिन, मगर, अगर, वरन्, बल्कि, पर आदि आते हैं ।
(d) परिणामदर्शक : इनसे जाना जाता है कि इनके गे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल है । जैसे-
सूरज उगा इसलिए अँधेरा भागा ।
2. स्वरूपवाचक : इसके द्वारा जुडे हुए शब्दों या वाक्यों में से पहले शब्द या वाक्य का स्पष्टीकरण पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है । इसके अंतर्गत कि, जो, अर्थात् यानी, यदि आदि आते हैं ।
(a) कारणवाचकोजक : इस अव्यय से आरंभ होनेवाला वाक्य अपूर्ण का समर्थन करता है । इसके अंतर्गत क्योंकि जो कि, इसलिए कि आदि आते हैं ।
(b) उद्देश्यवाचक : इस अव्यय के बाद आनेवाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य सूचित करता है । इसमें कि, जो, ताकि, इसलिए कि का प्रयोग आते हैं ।
(c) संकेतवाचक : इस अव्यय के कारण पूर्व वाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है, उससे उत्तरवाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है । इसके अंतर्गत कि यदि-तो, जो, तो, चाहे, परन्तु, यद्यपि-तथापि, या, तो भी आदि आते हैं ।
नोट : जो अव्यय दो-दो करके एक साथ आते हैं, वे नित्य संबंधी कहलाते हैं ।
जैसे- यद्यपि-तथापि, जो-तो इत्यादि ।
यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ ।

4.विस्मयादिबोधक
"जिन अव्यय शब्दों से वक्या या लेखक के मनोवेग अर्थात् भय, विस्मय, शोक, घृणा, उद्वेग आदि प्रकट हों ।" जैसे-

काश ! वह मुझे याद करता तो जिंदगी सँवर जाती । इस वाक्य में 'काश' विस्मयादिबोधक (Interjection) अव्यय है ।

विस्मयादिबोधक अव्यय के निम्नलिखित प्रकार है :

आश्चर्यबोधक : क्या ! सच ! ऐं ! ओ हो !....

हर्षबोधक : शाबाश ! धन्य ! अहा ! वाह ! ....

शोकबोधक : हाय ! उफ ! बाप रे,.....

इच्छाबोधक : जय हो ! आशिष ! .....

घृणाबोधक : छिः ! धिक् ! राम-राम ! हुश् ।...

अनुमोदनसूचक : ठीक ! वाह ! अच्छा भला !.....

संबोंधनसूचक : अरे ! अरी ! ऐ !......

नोट :

(i) विस्मयादिबोधक अव्यय के बाद विस्मयसूचक चिह्न (!) का प्रयोग किया जाता है ।

(ii) धत् तेरे की, हैलो, बहुत खूब, क्या कहने, कौन, क्यों, कैसा, सावधान, हट बचाओ, जा-जा आदि का प्रयोग भी विस्मयादिबोधक के रूप में होता है ।

निपात

"निपात (Particles) उन सहायक पदों को कहा जाता है, जो वाक्यार्थ में बिल्कुल नवीन अर्थ लाते है । "

हिन्दी में क्या, काश, तो भी, ही, तक, लगभग ठीक, करीब, मात्र, सिर्फ, हाँ, न, नहीं मत इत्यादि निपातों का प्रयोग होता है ।

नीचे लिखे वाक्यों के चमत्कारों को देखें, जो निपात के कारण आए हैं-

मैं यह काम कर सकता हूँ। (सामान्य अर्थ)

मैं भी यह काम कर सकता हूँ । (और भी कर सकते हैं)

मैं ही यह काम कर सकता हूँ ।(सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ)

मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ । (नहीं कर सकता)

निपात से आश्चर्य प्रकट होता है; प्रश्न किया जाता है; निषेध किया जाता है और बल दिया जाता है ।

निपात के मुख्यतया नौ प्रकार माने जाते हैं :

1. स्वीकारार्थक - हाँ, जी, जी हाँ..........
2. नकारात्मक - नहीं, न, जी नहीं, ...
3. निषेधार्थक - मत.......
4. प्रश्नबोधक - क्या, न,..........
5. विस्मयार्थक - काश, क्या,......
6. बलदायक - तो, ही, भी, तक ......
7. तुलनार्थक - सा,...........
8. अवधारणार्थक - ठीक, लगभग, करीब, तकरीबनकृ
9. आदरसूचक - जी,...........

कारक

जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बनाए वह कारक है ।''

जैसे-माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को काफी ऊँचाई पर पहुंचाया ।

यहाँ 'पहुचाना' क्रिया का अन्य पदों माइकल जैक्सन, पॉप संगीत, ऊँचाई आदि से संबंध है । वाक्य में 'ने' 'को' और 'पर' का भी प्रयोग हुआ है। इसे कारक-चिह्न या विभक्ति-चिह्न कहते हैं । यानी वाक्य में कारकीय संबंधों को बतानेवाले चिह्नों को कारक चिह्न अथवा परसर्ग कहते है ।

हिंदी भाषा में कारकों की कुल संख्या आठ मानी गई है, जो निम्नलिखित हैं-

कारक	परसर्ग/विभक्ति
1. कर्त्ता कारक	शून्य, ने (को, से, द्वारा)
2. कर्म कारक	शून्य, को
3. करण कारक	से, द्वारा (साधान या माध्यम)
4. सम्प्रदान कारक	को, के लिए
5. अपादान कारक	से (अलग होने का बोध)
6. संबंध कारक	का-के-की, ना-ने-न,रा-रे-री
7. अधिकाण कारक	में, पर
8. संबोधन कारक	हे, हो, अरे, अजी,.....

कर्त्ता कारक

''जो क्रिया का सम्पादन करे, 'कर्त्ता कारक' ककहलाता है ।''

अर्थात् कर्त्ता कारक क्रिया (काम) करता है । जैसे-

आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है ।

इस वाक्य में 'आतंक मचाना' क्रिया है, जिसका सम्पादक 'आतंकवादी' है यानी कर्त्ता कारक है ।

कर्त्ता कारक का परामर्श 'शून्य' और 'ने' चिह्न लुप्त रहता है, वहीं कर्त्ता का शून्य चिह्न माना जाता है । जैसे-

पेड-पौधें हमें ऑक्सीजन देते है ।
यहाँ पेड-पौधे में 'शून्य चिह्न है ।
कर्त्ता कारक में 'शून्य' और 'ने' के अलावा 'को' और से/द्वारा चिह्न भी लगाया जाता है । जैसे-
उसको पढना चाहिए ।
उनसे पढा जाता है ।

कर्त्ता के 'ने' चिह्न का प्रयोग :

सकर्मक क्रिया रहने पर सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्णभूत, संदिग्ध भूत में कर्त्ता के आगे 'ने' चिह्न आता है । जैसे-

मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना । (सामान्य भूत)
मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना है । (आ. भूत)
मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना था । (पूर्ण भूत)
मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना होगा । (सं. भूत)
मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना होता । (हितु. भूत)

कर्म कारक

''जिस पर क्रिया (कम) का फल पडे, 'कर्म कारक' कहलाता है ।''

जैसे-तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौंद डाला ।
सुन्दर लाल बहुगुना ने 'चिपको आन्दोलन चलाया ।

इन दोनों वाक्यों में 'पाकिम्तान' और 'चिपको आन्दोलन' कर्म हैं; क्योंकि 'रौंद डालना' और 'चलाना' क्रिया से प्रभावित है ।

कर्म कारक का चिह्न 'को' है; परन्तु जहाँ 'को' चिह्न नहीं रहता है, वहाँ कर्म का शून्य चिह्न माना जाता है । जैसे-

वह रोटी खाता है ।
भालू नाच दिखाता है ।

इन वाक्यों में 'रोटी' और 'नाच' दोनों के चिह्न-रहित कर्म है ।

कभी-कभी वाक्यों में दो-दो कर्मो का प्रयोग भी देखा जाता है, जिनमें एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म होता है । प्रायः वस्तुबोधक को मुख्य कर्म और प्राणिबोधक को गौण कर्म माना जाता है। जैसे-

माँ ने बच्चे को दूध पिलाया ।
↓ ↓
गौण कर्म मुख्य कम

क्रिया पर कर्म का प्रभाव

जैसे-माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को काफी ऊँचाई पर पहुंचाया ।

1. यदि वाक्य मे कर्म चिह्न-रहित (शून्य) रहे और कर्त्ता में 'ने' लगा हो तो क्रिया कर्म के लिंग-वचन के अनुसार होती है । जैसे-

कवि ने कविता सुनाई ।

माँ ने रोटी खिलाई ।
मैंने एक सपना देखा ।
तिलक ने महान भारत का सपना देखा था।
गुलाम अली ने एक अच्छी गजल सुनाई थी ।
बन्दर ने कई केले खाए हैं ।
बच्चों ने चार खिलौने खरीदे होंगे ।

2. यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों चिहन-युक्त हों तो क्रिया सदैव पु. एकदचन होती है जैसे-
स्त्रियों ने पुरूषों को देखा था ।
चरवाहों ने गायों को चराया होगा ।
शिक्षक ने छात्रों को पढाया है ।
गाँधी जी ने सत्य और अहिंसा को महत्व दिया है ।

3. क्रिया की अनिवार्यता प्रकट करने के लिए कर्ता में 'ने' की जगह 'को'' लगाया जाता है और किया कर्म के लिंग-वचन के अनुसार होती है। जैसे-
उस उम्र माँ को बच्चा पालना ही होगा ।
अंशु को एम. ए. करना ही होगा।
नूतन को पुस्तकें खरीदनी होंगी ।

4. अशक्ति प्रकट करने के लिए कर्त्ता में 'से' चिह्न लगाया जाता है और कर्म को चिह्न-रहित ऐसी स्थिति में क्रिया कर्म के लिंग-वचन के अनुसार ही होती है। जैसे-
रामानुज से पुस्तक पढी नहीं जाती ।
उससे रोटी खायी नहीं जाती है ।
शील्पा से भात खाया नहीं जाता था ।

5. यदि कर्त्ता चिह्न युक्त हो, पहला कर्म भी चिह्न-युक्त हो और दूसरा कर्म चिहन-रहित रहे तो क्रिया दूसरे कर्म (मुख्य कर्म) के अनुसार होती है। जैसे-
माता ने पुत्री को विदाई के समय बहुत धन दिया ।
पिता ने पुत्री को/पुत्र को बधाई दी ।

<u>करण कारक</u>

''जिस पर क्रिया (कम) का फल पडे, 'कर्म कारक' कहलाता है ।''
अर्थात् करण कारक साधन का काम करता है । इसका चिह्न 'से' है, कहीं-कहीं 'द्वारा' का प्रयोग भी किया जाता है जैसे-
चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो ।
पुलिस तमाशा देखती रही और अपहर्त्ता बोलेरे से लडकी को ले भागा ।
छात्रो को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली

उपयुक्त उदाहरणों में कलम, बोलेरो और पत्र करण कारक है ।
कभी-कभी वाक्य में करण का चिह्न लुप्त भी रहता है, वहाँ भ्रमित नहीं हेना चाहिए, सीधे क्रिया के साधन खोजने चाहिए । जैसे-
किससे या किसके द्वारा काम हुआ अथवा होता है?
मैं आपको आँखों देखी खबर सुना रहा हूँ । किससे देखी ? आँखों से (करण)
आज भी संसार मे करोडों लोग भूखों मर रहे हैं । (भूखों-करण कारक)
करीम मियाँ ने दो-दो जवान बेटो को अपने हाथों दफनाया (हाथों-करण कारक)
प्ररेक कर्त्ता कारक में भी करण का 'से' चिह्न देखा जाता है । जैसे-
यदि शत्रुओं में तेरा नाम न जपवाऊँ तो मैं विष्णुगुप्त चाणक्य नहीं ।
अहमदाबाद जाते हो तो मेरा प्रस्ताव लोगों से मनवा के छोडना ।
क्रिया की रीति या प्रकार बताने के लिए भी 'से' चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे-
धीरे से बालो दीवार के भी कान होते हैं ।
जहाँ भी रहो खुशी से रहो, यहीं मेरा आशीर्वाद है ।

<u>सम्प्रदान कारक</u>

''कर्त्ता कारक जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का सम्पादन करता है, सम्प्रदान कारक होता है ।''
जैसे-मुख्य बत्री नीतीश कुमार ने बाढ पीडितों के लिए अनाज और कपडे बँटवाए ।
इस वाक्य में 'बाढ-पीडित' सम्प्रदान कारक है; क्योंकि अनाज और कपडे बँटवाने का काम उनके लिए ही हुआ है । जैसे-
गृहिणी ने गरीबों को कपडे दिए ।
माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दीं ।
इन उदाहार्णों में गरीबों को... .... गरीबों के लिए और बच्चे को ..... बच्चे के लिए की और संकेत है ।
प्रथम उदाहरण मे एक और बात है........ जब कोई वस्तु किसी को हमेशा-हमेशा के लिए (दान आदि अर्थ में) दी जाती है, तब वहाँ 'को' का प्रयोग होता है जो 'के लिए' का बोध कराता है । प्रथम उदाहाण में गरीबों को कपडे दान में दिए गए हैं । इसलिए 'गरीब' सम्प्रदान कारक का उदाहरण हुआ ।